

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2017/2817

दिनांक - 29.12.17

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1 नवलाराम 2 खूमाराम  
3 दानाराम पिसरान  
शेराराम 4 पूरादेवी पत्नी  
शेराराम 5 रामाराम  
6 पांचाराम 7 वीराराम  
8 गेनाराम पिसरान  
मूलाराम 9 पेम्पो पत्नी  
मूलाराम जाति मेघवाल  
निवासी मातासर भूरटिया  
तहसील व जिला  
बाड़मेर।

1 राजूराम 2 भूराराम 3 नवलाराम पिसरान शेराराम  
4 जगमाल पुत्र डामराराम 5 रेखाराम पुत्र कोजाराम  
6 थानाराम 7 कानाराम पिसरान खेमाराम  
8 गोरखाराम 9 झूगराराम 10 मगाराम पिसरान  
आसुराम 11 कानाराम पुत्र नवलाराम 12 अन्नाराम पुत्र  
लाधाराम 13 दमाराम 14 नेनाराम पिसरान मोडाराम  
15 बाबूलाल 16 जोगाराम पिसरान हुकमाराम जाति  
मेघवाल निवासी भूरटिया 17 नवलाराम पुत्र ताजाराम  
जाति जाट निवासी मातासर भूरटिया 18 पन्नाराम  
19 पूराराम 20 राउराम पिसरान ताजाराम जाति जाट  
निवासी बोथिया तहसील व जिला बाड़मेर 21 सरपंच  
ग्राम पंचायत भूरटिया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 1289/2017

दिनांक- 28.12.17

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मातासर पटवार क्षेत्र भूरटिया तहसील व जिला बाड़मेर के  
खसरा संख्या 337 रकबा 100.06 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए  
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त  
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित  
करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही  
करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर  
पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे  
एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा  
किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 29.12.17

क्रमांक :- रीडर/2017/2810-21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भूरटिया तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. नवलाराम पुत्र शेराराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी मातासर भूरटिया तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी राजूराम पुत्र शेराराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी भूरटिया तहसील व जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर